न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 31/2025
धने सिंह पुत्र किशन लाल जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

–अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय दिनांक 5/5/2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 195/9 तादादी 01.7450 हेक्ट., खसरा सं. 197/14 तादादी 01.0116 हैक्ट., खसरा नं. 7 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल तादादी 03.1107 हैक्ट. प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में र्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम धनसिंह पुत्र किशन लाल अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में नाम धने सिंह पुत्र किशन ाल है। प्रार्थी जमांबदी में अपना नाम धनसिंह पुत्र किशन लाल के स्थान पर धने सिंह पुत्र केशन लाल करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, ्सल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में रूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी ाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 195/9 तादादी 01.7450 हेक्ट., खसरा सं. 197/14 ादादी 01.0116 हैक्ट., खसरा नं. 7 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल तादादी 03.1107 हैक्ट. में ार्थी का नाम धने सिंह पुत्र किशन लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। हसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने धनसिंह पुत्र ्शन लाल व धने सिंह पुत्र किशन लाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। ाजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण को कोई खण्डन श नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन–कार्ड, पहचान–पत्र से प्रार्थी का नाम धने सिंह पुत्र किशन लाल ्या जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में धनसिंह पुत्र किशन लाल नाम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी भाटियान तहसील तारानगर के खसरा सं. 195/9 तादादी 01.7450 हेक्ट., खसरा सं. 197/14 तादादी 01.0116 हैक्ट., खसरा नं. 7 तादादी 0.3541 हैक्ट. कुल तादादी 03.1107 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज **धनसिंह** पुत्र किशन लाल Delete कर इसके स्थान पर **धने सिंह** पुत्र किशन लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)